न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— श्री बदरी नारायण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 47 / 25 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. कैलाश पुत्र जन्सी
2. भौरी पत्नि जन्सी
3. रिंकू पुत्र रामकिशोर
4. राजन्ति पत्नि रामकिशोर

पि0 मथुरालाल समस्त जाति मीना निवासी सलेमपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा।

(प्रार्थीगण)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास जिला दौसा।

—(अप्रार्थी

उपस्थितिः— 1. श्री अरूण कुमार गौड अधिवक्ता—(प्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने पत्थर गढी
(अं0 धारा 128 एल आर एक्ट)
निर्णय

दिनांकः—10.06.2025

प्रार्थना पत्र में अंकित संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्राथीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी ख0नं0 436 / 229 है0 रकबा 1.2040 है0, भूमि वाकै ग्राम सलेमपुरा तहसील राहूवास में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी अनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि पर पडौसी खातेदारो से सीमा संबंधी विवाद होता रहता है इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं के निर्धारण के लिए पत्थरगढी करवाना चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का पुलिस इमदाद से सीमा चिन्ह अंकित करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का अनुतोष चाहा है।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजि0 एडी नोटिस जारी कर तलबी की गई। बाद तामिल उपस्थित नही। अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट होने से तहसीलदार से वस्तुस्थिती की जॉच रिर्पोट हेतु तहरीर जारी कर रिपोर्ट दिनांक 27.05.2025 पत्र क्रमांक / एल0आर0 / 2024 / 955 तलब की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट ख0नं0 436 / 229 है0 रकबा 1.2040 है0, भूमि वाकै ग्राम सलेमपुरा तहसील राहूवास भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। तहसीलदार द्वारा उक्त आराजियात की पत्थरगढी पुलिस इमदाद के साथ किये जाने की अभिशंषा की है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवम वस्तुस्थिती रिपोर्ट का आधोपान्त अध्यन किया गया। प्रार्थीगण ख0नं0 436 / 229 है0 रकबा 1.2040 है0, भूमि वाकै ग्राम सलेमपुरा तहसील राहूवास भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। व स्वयं की आराजी की पत्थरगढी

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा जिला-दौसा (राज

Scanned with OKEN Scanner

करवाने के अधिकारी है। जिसके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राहूवास को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 436/229 है0 रकबा 1.2040 है0, भूमि वाकै ग्राम सलेमपुरा तहसील राहूवास में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर सूचित करे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ता की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर से पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त कर न्यायालय के आदेश की पालना करावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार राहूवास को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

बदरी नारायण मीना
(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा, जिला दौसा।

यह आदेश आज दिनांक 16.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व उच्चारित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा, जिला दौसा।